राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
E-mail : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./ /PMSHRI ASG दिशा–निर्देश/2025–26/ दिनांकः–

पीएमश्री वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (PMSHRI Annual School Grant) दिशा–निर्देश सत्र 2025–26

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह अनुदान पीएमश्री योजनान्तर्गत डाइस डाटा 2023–24 के अनुसार पीएमश्री विद्यालयों के लिए प्रावधित है।

1) वित्तीय प्रावधान :–

S.No.	Enrollment as per U-DISE 2023-24	Annual School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– 1) उपरोक्त तालिका की क्रं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
6. सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई–मेल आईडी **smsa.asfe2021@gmail.com पर** निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204087

3) विद्यालय स्तर :– वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दरी पट्टी/दरी।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चॉक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

4) विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :– वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :–

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एंव रख–रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा–कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्त्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये –

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/ स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
2. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

3. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
4. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।
5. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –**

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से फरवरी तक
40%	30%	30%

6. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :–

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के तीन दिवस में राशि को ब्लॉक कार्यालयों को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की राशि डाइस 2023–24 के नामांकन अनुसार विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा राशि का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :–

1. जिला कार्यालय से राशि आहरण स्वीकृति के तीन दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। **विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।**
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की राशि का विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2025–26 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :–

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) राशि का दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत् मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अधीनस्थ विद्यालयों से वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

RajKaj Ref No.: 15204087

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :—

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

RajKaj Ref No.: 15204087

10) **लेखा सम्बन्धी बिन्दु :–**

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

11) **पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन –**

- पीईईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परीक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204087

परिशिष्ट–2

		<=100			> 100 and <= 250			> 250 and <= 1000			>1000			Total	
S.No.	District	School	Unit cost	Fin.	School	Unit cost	Fin.	School	Unit cost	Fin.	School	Unit cost	Fin.	School	Fin.
1	AJMER		0.5	0.000	3	0.75	2.250	14	1.00	14.000	2	1.5	3.000	19	19.250
2	ALWAR		0.5	0.000	1	0.75	0.750	15	1.00	15.000		1.5	0.000	16	15.750
3	BALOTARA		0.5	0.000		0.75	0.000	11	1.00	11.000		1.5	0.000	11	11.000
4	BANSWARA		0.5	0.000	2	0.75	1.500	15	1.00	15.000	1	1.5	1.500	18	18.000
5	BARAN		0.5	0.000	4	0.75	3.000	11	1.00	11.000	1	1.5	1.500	16	15.500
6	BARMER		0.5	0.000	2	0.75	1.500	16	1.00	16.000		1.5	0.000	18	17.500
7	BEAWAR	1	0.5	0.500	3	0.75	2.250	7	1.00	7.000	1	1.5	1.500	12	11.250
8	BHARATPUR		0.5	0.000	5	0.75	3.750	8	1.00	8.000	2	1.5	3.000	15	14.750
9	BHILWARA		0.5	0.000	4	0.75	3.000	17	1.00	17.000	2	1.5	3.000	23	23.000
10	BIKANER		0.5	0.000	3	0.75	2.250	13	1.00	13.000	1	1.5	1.500	17	16.750
11	BUNDI		0.5	0.000	3	0.75	2.250	7	1.00	7.000	2	1.5	3.000	12	12.250
12	CHITTAURGARH		0.5	0.000	2	0.75	1.500	15	1.00	15.000		1.5	0.000	17	16.500
13	CHURU		0.5	0.000	1	0.75	0.750	13	1.00	13.000	2	1.5	3.000	16	16.750
14	DAUSA		0.5	0.000	2	0.75	1.500	14	1.00	14.000	1	1.5	1.500	17	17.000
15	DEEG		0.5	0.000	1	0.75	0.750	6	1.00	6.000		1.5	0.000	7	6.750
16	DHAULPUR		0.5	0.000	2	0.75	1.500	11	1.00	11.000	1	1.5	1.500	14	14.000
17	DIDWANA-KUCHAMAN		0.5	0.000	1	0.75	0.750	14	1.00	14.000		1.5	0.000	15	14.750
18	DUNGARPUR		0.5	0.000	1	0.75	0.750	12	1.00	12.000	1	1.5	1.500	14	14.250
19	GANGANAGAR	2	0.5	1.000	3	0.75	2.250	15	1.00	15.000		1.5	0.000	20	18.250
20	HANUMANGARH		0.5	0.000	4	0.75	3.000	9	1.00	9.000	3	1.5	4.500	16	16.500
21	JAIPUR	2	0.5	1.000	4	0.75	3.000	23	1.00	23.000	1	1.5	1.500	30	28.500
22	JAISALMER	1	0.5	0.500		0.75	0.000	7	1.00	7.000	1	1.5	1.500	9	9.000
23	JALOR		0.5	0.000	1	0.75	0.750	17	1.00	17.000		1.5	0.000	18	17.750
24	JHALAWAR		0.5	0.000	3	0.75	2.250	9	1.00	9.000	2	1.5	3.000	14	14.250
25	JHUNJHUNU		0.5	0.000	4	0.75	3.000	16	1.00	16.000	1	1.5	1.500	21	20.500
26	JODHPUR		0.5	0.000	4	0.75	3.000	16	1.00	16.000		1.5	0.000	20	19.000
27	KARAULI		0.5	0.000	1	0.75	0.750	13	1.00	13.000		1.5	0.000	14	13.750
28	KHAIRTHAL-TIJARA		0.5	0.000		0.75	0.000	10	1.00	10.000		1.5	0.000	10	10.000
29	KOTA	1	0.5	0.500	3	0.75	2.250	8	1.00	8.000	2	1.5	3.000	14	13.750
30	KOTPUTLI-BEHROR		0.5	0.000	5	0.75	3.750	4	1.00	4.000		1.5	0.000	9	7.750
31	NAGAUR	1	0.5	0.500	4	0.75	3.000	10	1.00	10.000		1.5	0.000	15	13.500
32	PALI		0.5	0.000	3	0.75	2.250	12	1.00	12.000	3	1.5	4.500	18	18.750
33	PHALODI		0.5	0.000	1	0.75	0.750	9	1.00	9.000		1.5	0.000	10	9.750
34	PRATAPGARH (RAJ.)		0.5	0.000	3	0.75	2.250	11	1.00	11.000		1.5	0.000	14	13.250
35	RAJSAMAND	1	0.5	0.500	2	0.75	1.500	13	1.00	13.000		1.5	0.000	16	15.000
36	SALUMBAR		0.5	0.000	1	0.75	0.750	7	1.00	7.000		1.5	0.000	8	7.750
37	SAWAI MADHOPUR		0.5	0.000	1	0.75	0.750	8	1.00	8.000	1	1.5	1.500	10	10.250
38	SIKAR	1	0.5	0.500	3	0.75	2.250	24	1.00	24.000		1.5	0.000	28	26.750
39	SIROHI	1	0.5	0.500	1	0.75	0.750	8	1.00	8.000		1.5	0.000	10	9.250
40	TONK		0.5	0.000	3	0.75	2.250	12	1.00	12.000	1	1.5	1.500	16	15.750
41	UDAIPUR		0.5	0.000	3	0.75	2.250	19	1.00	19.000		1.5	0.000	22	21.250
	Grand Total	**11**		**5.500**	**97**		**72.750**	**499**		**499.000**	**32**		**48.000**	**639**	**625.250**

RajKaj Ref No.: 15204087

परिशिष्ट–1

वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

विद्यालय का नाम .... यू डाइस कोड................................

ब्लॉक कार्यालय से वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2025–26 में विद्यालय को प्राप्त वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) राशि रू .... में से राशि .... का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2023–24 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र A-2

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि **<u>सत्र 2025–26 में</u>** सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

RajKaj Ref No.: 15204087

वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 हेतु जिला कार्यालय से वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) मद में कुल .... राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक एवं ....उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :–

वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) राशि उपयोग का विरण								
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref No.: 15204087

वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) (जिला स्तर) A-4
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में जिला .... को वार्षिक स्कूल ग्रान्ट (Annual School Grant) मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / F- / PMSHRI ASG दिशा–निर्देश–2025–26 / **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3- निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक / सीडीईओ / जि.शि.अ. प्रा. एवं मा. / सीबीईओ / पीईईओ / यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम / द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8- समस्त जिला परियोजना समन्वयक / अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
9- कार्यालय उपयोग हेतु।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :03-06-2025 05:13:30

RajKaj Ref No.: 15204087

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

E-mail- smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / वै.शि. / PMSHRI/Youth & Eco Club Direction / 2025–26 / दिनांक :–

पीएमश्री सदन आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2025–26

यूथ एवं ईको क्लब –

(1) **यूथ क्लब के तहत** बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी है।

(2) **ईको क्लब के तहत** बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण, जैव–विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।

(3) विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका / किचन गार्डन को लागू करने के लिये ईको क्लब पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्य को यूथ एवं ईको क्लब अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाये।

(4) ईको क्लब के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।

(5) विश्व पर्यावरण की थीम **"ईको सिस्टम रिस्टोरेशनः रीइमेजिन (फिर से बनाना) एवं पुर्नस्थापना"** करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाये रखना, जल संरक्षण एवं वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया :–

1. **<u>प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।</u>**
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक / शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
5. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204118

6. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।

7. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।

8. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करनी है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।

9. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये **भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।**

10. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम का महत्व बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र–पत्रिकाओं इत्यादि स्त्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।

11. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।

12. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

13. समय–समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।

14. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।

15. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।

16. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। **रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा।** रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

17. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को ''यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर'' का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204118

गतिविधियाँः—

➤ **यूथ क्लब गतिविधियाँः—**

- यूथ क्लब गतिविधियों में **<u>क्विज प्रतियोगिता, वाद—विवाद प्रतियोगिता, संगीत, कला एवम् सांस्कृतिक गतिविधियां</u>** इत्यादि शामिल किया जाए।
- विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक, कार्य कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किये जाए। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन/सहयोग लिया जाये।
- विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दिए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन करवाया जाए।

➤ **ईको क्लब गतिविधियाँः—**

- वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल—चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाए।
- **विद्यालय में चारदीवारी, पर्याप्त भूमि एवं जलस्त्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधों एवं किचन गार्डन को लगाया जाये।**
- राशि का उपयोग कचरा पात्र (नीला व हरा), जल निकासी की सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गार्ड इत्यादि में किया जाए।
- विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाऐं यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक—पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय—मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थाए क्रियाशील होनी चाहिये।

राशि उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश व निर्धारित समय सीमा —

1. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है —**

जुलाई से सितम्बर	**अक्टूबर से नवम्बर**
60%	40%

2. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्र.स.	**सामग्री का नाम**	**विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान**
1	स्टेशनरी, पेन, पेन्सिल इत्यादि	1000
2	यूथ क्लब की गतिविधि	5500
3	विद्यालय में साफ—सफाई, स्वच्छता इत्यादि हेतु	3000
4	ईको क्लब की गतिविधि	5500
	कुल राशि	**15000**

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य –

- डाइस 2023–24 के अनुसार पीएमश्री विद्यालयों के लिए बजट का प्रावधान निम्नानुसार प्रावधित है–

PMSHRI Youth & Eco Club Budget 2025-26

S.No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.15	2.850
2	ALWAR			16		16	0.15	2.400
3	BALOTARA			11		11	0.15	1.650
4	BANSWARA		4	14		18	0.15	2.700
5	BARAN		4	12		16	0.15	2.400
6	BARMER			18		18	0.15	2.700
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.15	1.800
8	BHARATPUR		4	11		15	0.15	2.250
9	BHILWARA		4	19		23	0.15	3.450
10	BIKANER		1	15	1	17	0.15	2.550
11	BUNDI	1	1	10		12	0.15	1.800
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.15	2.550
13	CHURU			15	1	16	0.15	2.400
14	DAUSA		1	15	1	17	0.15	2.550
15	DEEG		1	6		7	0.15	1.050
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.15	2.100
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.15	2.250
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.15	2.100
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.15	3.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.15	2.400
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.15	4.500
22	JAISALMER		1	8		9	0.15	1.350
23	JALOR		2	16		18	0.15	2.700
24	JHALAWAR		2	12		14	0.15	2.100
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.15	3.150
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.15	3.000
27	KARAULI			14		14	0.15	2.100
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.15	1.500
29	KOTA	2	3	9		14	0.15	2.100
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.15	1.350
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.15	2.250
32	PALI		3	15		18	0.15	2.700
33	PHALODI		1	9		10	0.15	1.500
34	PRATAPGARH (RAJ.)		1	13		14	0.15	2.100
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.15	2.400
36	SALUMBAR		2	6		8	0.15	1.200
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.15	1.500
38	SIKAR		3	24	1	28	0.15	4.200
39	SIROHI	1		9		10	0.15	1.500
40	TONK		2	14		16	0.15	2.400
41	UDAIPUR		2	20		22	0.15	3.300
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**95.850**

RajKaj Ref No.: 15204118

लेखा सम्बन्धी बिन्दु –

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन –

- पीईईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परीक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

अन्य निर्देश –

- संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।

पीएमश्री यूथ एवं इको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा

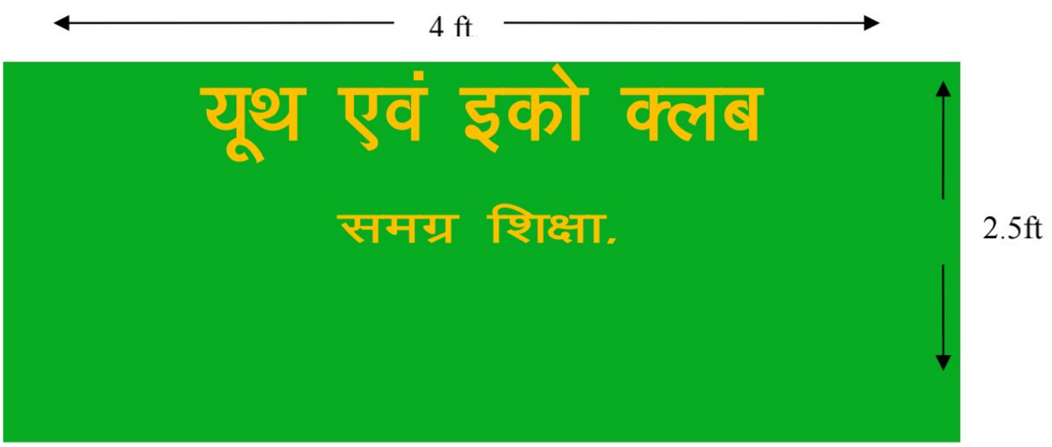

RajKaj Ref No.: 15204118

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

A-1

पीएमश्री यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर) 2025–26

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में ब्लॉक .... जिला .... के .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूथ एवं ईको क्लब हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार मावि / उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि. वि.
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

पीएमश्री यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर) 2025–26

A-2

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में जिला .... को यूथ एवं ईको क्लब मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref No.: 15204118

पीएमश्री यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) 2025–26 A-3

विद्यालय का नाम .... **यू–डाईस कोड**............................
यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशि .... **दिनांक** ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में प्राप्त यूथ एवं ईको क्लब राशि रू. .... का उपयोग एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि.......................रूपये है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

(
अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/औ.शि./PMSHRI/Youth & Eco Club Direction/2025–26/ **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशालय निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देश की क्रियान्विति के लिये संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ.प्रा. एवं मा./ सीबीईओ/सीआरसी को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :03-06-2025 05:13:18

RajKaj Ref No.: 15204118

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप / जय / AS&FE / PMSHRI Sports Grant Direction/2025–26 /   दिनांकः–

पी.एम.श्री स्पोर्ट्स ग्रान्ट दिशा–निर्देश 2025–26

खेल हमारे जीवन के सर्वागींण विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। खेलने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा इससे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायता मिलती है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है'' इसलिये शारीरिक विकास के लिए खेलकूद ज़रूरी है, जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल से पारस्परिक सौहार्द व टीम भावना जागृत होती है।

बच्चों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य की यू–डाइस 2023–24 के आधार पर राजस्थान राज्य के कुल 639 पी.एम. श्री विद्यालय (PM SHRI) योजना के अंतर्गत प्रति विद्यालय 50,000/– (पचास हजार रूपये) की गणना से कुल 319.50 लाख रूपये के बजट का प्रावधान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

जिलेवार बजट परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट रूपये में	बजट राशि लाखों में
639	50,000/-	319.50

1. विद्यालयों में निम्नलिखित खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री क्रय का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए –

प्रोत्साहित किए जाने वाले खेलों के नाम			
1	कबड्डी	6	बास्केटबॉल
2	टेबल टेनिस	7	जिम्नास्टिक्स
3	वालीबॉल	8	तीरन्दाजी
4	फुटबॉल	9	बैडमिंटन
5	टेनिस	10	हॉकी

2. **खेल अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देशः–**

- विद्यालयों द्वारा खेल अनुदान राशि का उपयोग खेल सामग्री क्रय किए जाने में किया जाना है।
- **एसएमसी/एसडीएमसी विद्यालयों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उपयोगिता अनुसार ही खेल सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।**
- **जो खेल सामग्री सही हालत में उपलब्ध है, उसे पुनः क्रय नहीं करें।**
- **''नो–बैग डे'' पर आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को खेल सामग्री दी जावे।**
- **सप्ताह में कम से कम एक कालांश खेल सम्बन्धी होना चाहिये।**
- **सूची में उल्लेखित खेल सामग्री से पृथक खेल सामग्री क्रय करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी को स्वीकृति आदेश जारी करना होगा।**
- विद्यालयों में क्षेत्रीय एवं परम्परागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल सामग्री एवं उपकरणों को क्रय भी किया जा सकेगा।

RajKaj Ref No.: 15204019

- निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में आयोजित होने वाले खेलों की खेल सामग्री को क्रय किये जाने हेतु खेल अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
- खेल अनुदान राशि द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।
- स्टॉक रजिस्टर में क्रियाशील सामग्री, मरम्मत योग्य सामग्री एवं खारिज योग्य सामग्री एवम् नवीन सामग्री के नाम से खेल सामग्री/उपकरणों का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।
- विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/ खेल प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा खेल सामग्री/उपकरणों एवं खेल सहायक सामग्री का रख–रखाव किया जायेगा।
- राशि व्यय/उपयोग के उपरान्त अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को प्रेषित किये जाए।
- खेल व खेल सामग्रियों का कक्षा स्तरवार विवरण निम्नानुसार है –

सारणी – 1

खेल सामग्री	कक्षा	खेल सामग्री	कक्षा		कक्षा
प्लास्टिक क्रिकेट बॉल–साईज 2	1 to 2	लकड़ी का क्रिकेट बेट – आकार 4	6 to 8	स्किपिंग रोप	9 to 12
लकड़ी का क्रिकेट बेट – आकार 4	1 to 2	टेनिस बॉल	6 to 8	शॉट पुट (रबड)	9 to 12
क्रिकेट स्टम्प सैट	1 to 2	पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	6 to 8	डिस्कस (रबड)	9 to 12
सॉफ्ट बॉल (छोटी)	1 to 2	वॉलीबॉल नेट	6 to 8	बेडमिंटन रैकेट	9 to 12
टेनिस बॉल	1 to 2	हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	6 to 8	बेडमिंटन शटल	9 to 12
प्लास्टिक बॉल	1 to 2	थ्रो बॉल	6 to 8	लकडी का क्रिकेट बेट – आकार 4	9 to 12
पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल– आकार 3	1 to 2	रग्बी बॉल	6 to 8	टेनिस बॉल	9 to 12
बास्केट बॉल	1 to 2	बॉस्केट बॉल	6 to 8	थ्रो बॉल	9 to 12
रग्बी सॉफ्ट बॉल	1 to 2	पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल – आकार 4	6 to 8	पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	9 to 12
फ्रिज्बी	1 to 2	फ्रिज्बी	6 to 8	वॉलीबॉल नेट	9 to 12
मल्टी कलर्ड हूला हूप्स	1 to 2	फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	6 to 8	हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	9 to 12
सोसर कोन	1 to 2	6″ स्टेप हर्डल	6 to 8	बॉस्केट बॉल	9 to 12
बीन बैग्स	1 to 2	9″ स्टेप हर्डल	6 to 8	रग्बी बॉल	9 to 12
बीन बैगस –स्कॉर्फ	1 to 2	मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर्स के साथ	6 to 8	पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल –आकार 5	9 to 12
6″ स्टेप हर्डल	1 to 2	मार्किंग कोन 12″	6 to 8	पॉप अप फुटबॉल गोल्स पोस्ट बिग	9 to 12
12 फीट पैराशूट	1 to 2	सोसर कोन	6 to 8	रिलेय बेटोन्स	9 to 12
फुट पम्प बॉस्केट बॉल– आकार 3	1 to 2	नायलोन बिब्स ग्रीन	6 to 8	मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर्स के साथ	9 to 12
शॉट पुट (रबड)	3 to 5	फुट पम्प बॉस्केट बॉल– आकार 3	6 to 8	मार्किंग कोन 12″	9 to 12
डिस्कस (रबड)	3 to 5	फस्ट एड किट	6 to 8	नायलोन बिब्स ग्रीन	9 to 12
फोम जैवलीन	3 to 5	फुटबॉल गोल्स पोस्ट 6ft. x 3.5ft.	9 to 12	सोसर कोन	9 to 12
शॉट पुट (रबड)	6 to 8	फुट पम्प	9 to 12	फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	9 to 12
डिस्कस (रबड)	6 to 8	फस्ट एड किट	9 to 12	9″ स्टेप हर्डल	9 to 12
स्किपिंग रोप	6 to 8	फ्रिज्बी	9 to 12	12″ स्टेप हर्डल	9 to 12

<u>राशि के व्यय हेतु समय सीमाः–</u>

70 प्रतिशत राशि व्यय	**30 प्रतिशत राशि व्यय**
माह सितम्बर, 2025 तक	माह नवम्बर, 2025 तक

3. कक्षा अनुसार सुझावात्मक खेल गतिविधियाँः–

:: प्राथमिक वर्ग ::

I- खेल गतिविधि अनुसार कौशल विकास –

- हस्त कौशल (कैचिंग, थ्रोईंग, किकिंग आदि)
- शरीर प्रबंधन कौशल (बैलेंस और स्थिरता)
- लोकोमोटर कौशल (रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलपिंग आदि)

II- आनंद दायक खेल –

- हैंडबॉल, हॉकी, कराटे, कुश्ती, किक बॉक्सिंग, योगा।
- व्यक्तिगत खेल (जैसे– स्केटिंग, रस्सी स्किपिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, किक–बॉक्सिंग)
- **सामूहिक खेल**
  - आक्रमण के खेल (जैसे– बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल)
  - रैली गेम्स (जैसे– टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बॉलीबॉल)

RajKaj Ref No.: 15204019

➢ इनिंग गेम्स (जैसे– क्रिकेट, खो–खो, राउंडर्स, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल)

III- **पारम्परिक भारतीय स्वदेशी खेल –**

- कबड्डी
- घेरा रोलिंग (घेरा/टायर रोलिंग)
- पिट्ठू
- बोरा दौड़
- खो–खो
- आंख मिचौली
- रस्साकशी
- कन्चे (कौडी)

IV- **अन्य क्षेत्रीय खेल –**

- अट्या पट्या
- कैरम
- मलखंब
- सॉफ्ट टेनिस
- योगा
- लंगड़ी
- जूडो
- रोलर स्केटिंग
- स्क्वॉश
- लूडो
- सितोलिया
- खो–खो
- शूटिंग बॉल
- रस्साकशी

मुख्यधारा के खेल (एथलेटिक्स के अलावा, जिमनास्टिक्स, तैराकी) को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् प्रादेशिक, नेट / वॉल गेम एवं क्षेत्ररक्षक में विभाजित किया जा सकता है।

V- **प्रादेशिक खेल –**

प्रादेशिक खेल वे हैं, जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक खेलने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लक्ष्य एक प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को स्कोर करने के लिए आक्रमण करना है। स्कोरिंग एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रोजेक्टिंग एवं ऑब्जेक्ट (जैसे एक गेंद) द्वारा हासिल की जाती है, गेंद को लक्ष्य क्षेत्र में सटीक रूप से शूट किया जाता है या गेंद को एक खुले सिरे वाले लक्ष्य (जैसे एक रेखा के पार) में स्थानांतरित किया जाता है। जो निम्न हैः–

- बास्केटबॉल
- हॉकी
- रग्बी
- हैंडबाल
- नेटबॉल
- फुटबॉल

VI- **नेट/ वॉल गेम –**

नेट/ वॉल गेम वे हैं जिनमें दो खिलाड़ी/ टीम एक क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करते है। इसमें नेट को निर्धारित ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रतिद्वंदी एक सफल वापसी करने में असमर्थ होता है तो दूसरे दल को स्कोर प्राप्त होता है, जो निम्न है :–

- बैडमिंटन
- टेनिस
- स्क्वॉश
- टेबल टेनिस
- वॉलीबॉल

VII- **क्षेत्र–रक्षण खेल –**

क्षेत्ररक्षण खेल वे हैं, जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं। बल्लेबाजी टीम के लिए लक्ष्य एक वस्तु (गेंद) पर प्रहार करना होता है। क्षेत्र रक्षकों से बचकर व वस्तु (गेंद) सीमा रेखा के बाहर हो जाये तब स्कोरिंग हासिल होती है । क्षेत्ररक्षण टीम का लक्ष्य बल्लेबाजी टीम को रन बनाने से रोकना है।

:: उच्च प्राथमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो–खो, नेटबॉल, लॉन टेनिस, रग्बी, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल–टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, क्रिकेट, नेटबॉल, योगा, आदि।

:: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियड्र्स और स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो–खो, नेटबॉल मल्लखंब, लॉन टेनिस, पैरा स्पोर्ट, रोलर स्केटिंग, रग्बी, स्कूल गेम्स, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल–टेनिस, वॉलीबॉल, वेट–लिफ्टिंग, कुश्ती, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग, योगा, आदि।

4. <u>खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों के रख–रखाव एवं उपयोग हेतु दिशा–निर्देशः</u>–

विद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं की सफलता उनके उपयोग पर निर्भर करती है। इसके लिए खेल सामग्री एवं उपकरणों का उपयोग किये जाने की स्थिति में आवश्यक है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएः–

- खेल मैदान की स्वच्छता एवम् खेल उपकरणों का नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
- खेल मैदान में केवल अनुशंसित फुटवियर की अनुमति दे।
- जमीन का स्तर और ढलान ऐसा होना चाहिए जिसमें जल जमाव न हो।

RajKaj Ref No.: 15204019

- खेल गतिविधियों के दौरान उचित संख्या में कचरा पात्रों की व्यवस्था की जाए।

5. मॉनीटरिंग –

- विद्यालयों द्वारा स्पोर्टस ग्रान्ट की राशि का उपयोग नियमानुसार किये जाने एवं सामग्री की गुणवत्ता; लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक सीआरसी / यूसीईईओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय स्तर पर तीन सदस्य यथा सीबीईओ, एसीबीईओ, लेखा अधिकारी की समिति का गठन कर सीआरसी/यूसीईईओ द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग एवं विद्यालयों द्वारा क्रय की जा रही खेल सामग्री को लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे।
- जिला कार्यालय स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सम्बन्धित सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों द्वारा लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाते हुये क्रय की जा रही खेल सामग्री की कार्यवाही की विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग की समीक्षा करेंगे।
- किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लायी जाएगी। अतः खेल सामग्री की क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुये लेखा नियमानुसार कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय की जाये।

<u>पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन</u> –

- पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परीक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204019

Sports Equipment Budget under PM SHRI 2025-26

S.No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.50	9.500
2	ALWAR			16		16	0.50	8.000
3	BALOTARA			11		11	0.50	5.500
4	BANSWARA		4	14		18	0.50	9.000
5	BARAN		4	12		16	0.50	8.000
6	BARMER			18		18	0.50	9.000
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.50	6.000
8	BHARATPUR		4	11		15	0.50	7.500
9	BHILWARA		4	19		23	0.50	11.500
10	BIKANER		1	15	1	17	0.50	8.500
11	BUNDI	1	1	10		12	0.50	6.000
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.50	8.500
13	CHURU			15	1	16	0.50	8.000
14	DAUSA		1	15	1	17	0.50	8.500
15	DEEG		1	6		7	0.50	3.500
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.50	7.000
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.50	7.500
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.50	7.000
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.50	10.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.50	8.000
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.50	15.000
22	JAISALMER		1	8		9	0.50	4.500
23	JALOR		2	16		18	0.50	9.000
24	JHALAWAR		2	12		14	0.50	7.000
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.50	10.500
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.50	10.000
27	KARAULI			14		14	0.50	7.000
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.50	5.000
29	KOTA	2	3	9		14	0.50	7.000
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.50	4.500
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.50	7.500
32	PALI		3	15		18	0.50	9.000
33	PHALODI		1	9		10	0.50	5.000
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.50	7.000
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.50	8.000
36	SALUMBAR		2	6		8	0.50	4.000
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.50	5.000
38	SIKAR		3	24	1	28	0.50	14.000
39	SIROHI	1		9		10	0.50	5.000
40	TONK		2	14		16	0.50	8.000
41	UDAIPUR		2	20		22	0.50	11.000
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**319.500**

RajKaj Ref No.: 15204019

पीएमश्री विद्यालयों के लिए जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र

पीएमश्री स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड.................................

ब्लॉक कार्यालय से स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

पीएमश्री स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र A-2

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि **<u>सत्र 2025–26 में</u>** सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

RajKaj Ref No.: 15204019

पीएमश्री स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 हेतु जिला कार्यालय से स्पोर्ट ग्रान्ट (Sports Grant) मद में कुल .... राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक एवं ....उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई स्पोर्ट ग्रान्ट (Sports Grant) का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :–

स्पोर्ट ग्रान्ट (Sports Grant) राशि उपयोग का विरण

क्र.सं.	PEEO / UCEEO कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

पीएमश्री स्पोर्टस ग्रान्ट (Sports Grant) (जिला स्तर) A-4

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में जिला .... को स्पोर्ट ग्रान्ट (Sports Grant) मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref No.: 15204019

6. <u>लेखा सम्बन्धी नियम</u> :–

- सामग्री का क्रय करने हेतु चार सदस्यों की समिति बनाई जाए, जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी के दो सदस्य, सदस्य सचिव व सम्बन्धित विद्यालय का संस्थाप्रधान को सम्मिलित किया जाए।
- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(अनुपमा जोरवाल)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./पीएमश्री स्पोर्टस्/दिशा–निर्देश/2025–26/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाने का श्रम करावें।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. प्रोग्रामर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. संस्थाप्रधान समस्त पीएमश्री को प्रेषित कर लेख है कि उक्त गतिविधियों का समय पर संपादन करना सुनिश्चित करें।
13. सचिव, एसएमसी/एसडीएमसी समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :03-06-2025 05:13:43

RajKaj Ref No.: 15204019

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID - smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./ / पीएमश्री हरित विद्या0 स्वच्छ विद्या0 दिशा–निर्देश/2025–26/ दिनांक

पी.एम.श्री हरित विद्यालय (Green School) दिशा–निर्देश सत्र 2025–26

उद्देश्यः – स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण; स्वस्थ जीवन का आधार है। पर्यावरण के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जीवन से ही इसकी समझ विकसित की जाए। छात्र व युवा शक्ति स्वच्छ और हरित वातावरण तैयार करने की क्षमता रखती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के नागरिकों के रूप में तैयार करना एवं विद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में उभारने के लिए केंद्र प्रायोजित पीएम श्री स्कूल (PM SHRI - PM ScHools for Rising India) योजना प्रारम्भ की गयी है। भारत सरकार द्वारा राज्य की यू–डाइस 2023–24 के आधार पर प्रथम चरण 402 + द्वितीय चरण 237 कुल 639 विद्यालय जिसमे प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1–5/1–8) एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1–10/1–12/6–10/6–12) को पीएम श्री स्कूल (PM SHRI) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। **पीएमश्री विद्यालयों के लिए सत्र 2025–26 में बजट का प्रावधान नवीन जिलों को सम्मलित करते हुए किया गया है।** निम्नलिखित प्रयास शिक्षक–शिक्षिकाओं एवम् विद्यार्थियों के माध्यम से किये जाने हैं।

1. **एल.ई.डी. (Light-emitting diode) लाईट का उपयोग –** पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों में ऊर्जा संरक्षण का भी महत्व है। ऊर्जा की बचत ही इसका संरक्षण है। अतः विद्यालयों में (कक्षा–कक्षों, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टॉफ कक्ष, बरामदों इत्यादि स्थान) रोशनी हेतु उपयोग लिए जाने वाले विद्युत उपकरणों यथा बल्ब, ट्यूबलाईट आदि के रूप में एल.ई.डी. **(प्रकाश उत्सर्जन डायोड)** लाईट्स के विभिन्न रूपों को कार्य में लिया जाए।

पीएम श्री योजना अन्तर्गत चयनित 639 पीएमश्री राजकीय विद्यालयों में एल.ई.डी. हेतु बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
639	2,000/-	12.78

2. **हरित विद्यालय को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां (Activity promoting Green School (up to 200 students and more than 200 students)) –**

(अ) पर्यावरण के सन्दर्भ में –

- **आकाश, अग्नि एवं वायु तत्त्व के अंतर्गत –** प्राकृतिक खेती, किचन गार्डन, स्थानीय प्रजातियों के पौधे एवं जैव विविधता को प्रोत्साहित करना।
- **जल तत्त्व के अंतर्गत –** जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधि के प्रति सवेंदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाना।
- **पृथ्वी तत्त्व के अंतर्गत –** कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के महत्व की समझ एवं भागीदारी को मजबूत करना। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अपशिष्ट पदार्थो का उपयोग शिक्षकों की देखरेख और उचित सुरक्षा उपायों के तहत कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विजेताओं को पुरस्कृत किया जा सकता है।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए यू–डाइस 2023–24 के अनुसार ऐसे विद्यालय जिनका नामांकन 200 विद्यार्थी तक है तथा जिनका नामांकन 200 विद्यार्थी से अधिक का है के लिए

RajKaj Ref No.: 15204045

निम्नानुसार बजट का प्रावधान किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–2 व 3 पर अवलोकनीय।

क्र.स.	डाइस 2023–24 के अनुसार विद्यालय	विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
1	200 नामांकन तक वाले चयनित विद्यालय	69	5,000/-	3.45
2	200 नामांकन से अधिक वाले चयनित विद्यालय	570	10,000/-	57.00

3. **कचरे की श्रेणी अनुसार कूडादान का उपयोग (Colorful sorting dustbins painted in interesting characters for waste segregation) –**

- कचरे के पृथक्करण के लिए चित्रित रंगीन कूड़ेदान लगाए जाए।
- विद्यालय परिसर के भीतर उत्पन्न गीले कचरे को स्वाभाविक रूप से निपटाने के लिए कंपोस्ट पिट स्थापित करना है।
- कम्पोस्टिंग के जरिये बनी हुई खाद का उपयोग विद्यालय के किचन गार्डन/सब्जी के बाग़ में करना।
- विद्यार्थियों में कचरा निस्तारण एवं डस्टबिन के उपयोग हेतु समझ विकसित करने के लिये डस्टबिन का निम्नानुसार उपयोग लिया जाना सुनिश्चित करें –

1) **<u>नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग</u> –** विद्यालय के कॉमन भाग में सूखा डस्टबिन (नीले रंग का) रखें। इसमें सूखे कचरे यथा प्लास्टिक कवर, बोतलें, काग़ज बक्से, कप, टॉफी रैपर, साबुन या चॉकलेट रैपर और कागज के कचरे जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेट्रा पैक, कार्डबोर्ड कार्टन, कागज़ बॉक्स या पेपर कप, टिन/कैन फॉइल पेपर और कंटेनर जैसी धातु की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन, बाल, रबर/थर्मोकोल (पॉलीस्टाइरीन), पुराने मोप्स/डस्टर/स्पंज इत्यादि को डाला जाए।

2) **<u>हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग</u> –** इसका मुख्यतः उपयोग गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल सामग्री के लिए लिया जाए। इसमें पका हुआ भोजन/बचे हुए भोजन, सब्जी/फलों के छिलके, टी बैग/कॉफी पीस, नारियल के खोल और बगीचे के कचरे सहित गिरी हुई पत्तियों/ टहनियाँ इत्यादि शामिल हैं तथा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध इस प्रकार की सामग्री डाली जाए।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए यू–डाइस 2023–24 के अनुसार पीएमश्री 639 राजकीय विद्यालयों हेतु डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–4 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट प्रति विद्यालय	बजट राशि लाखों में
639	10,000/-	63.900

5. **किचन गार्डन (Vegetable/Medical/Kitchen Gardens)–** विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के क्रम में विद्यालय के एक क्षेत्र का चुनाव कर उसमें विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा विभिन्न सब्जियों/औषधीय पौधे का रोपण कर किचिन गार्डन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए डाइस 2023–24 के अनुसार पीएमश्री 639 राजकीय विद्यालयों में बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है – जिलेवार बजट परिशिष्ट–5 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
639	10,000/-	63.90

RajKaj Ref No.: 15204045

6. स्वच्छता पखवाडा (Swachhta Pakhwada) – विद्यालय में विद्यार्थियों तथा जनसमुदाय को स्वच्छता की समझ व महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु वर्ष में दो बार **(अगस्त माह तथा जनवरी माह) "स्वच्छता पखवाडा"** का आयोजन विद्यालय द्वारा किया जाए। इस दौरान स्वच्छता सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विद्यालय में वाद–विवाद, निबन्ध, चित्रकला प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जा सकता है। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान समुदाय में छात्रों की रैली आयोजित की जाएगी एवम् सूखे और गीले कचरे को अलग करने की जानकारी समुदाय को दी जाएगी। शिक्षक–शिक्षिका एवं सभी विद्यार्थी, विद्यालय परिसर एवं परिवेश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लेंगे। साथ ही जनसमुदाय के साथ परिचर्चा/गोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया जा सकता है।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए डाइस 2023–24 के अनुसार पीएमश्री 639 राजकीय विद्यालयों में बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–7 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
639	2,000/-	12.78

7. विशेषज्ञ वार्ता (Expert Talks) – जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु व विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्यो को प्रभावी बनाने हेतु पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, स्थानीय पर्यावरण ज्ञान, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर विद्यालय सत्र विशेषज्ञ वार्ता आयोजित कर सकते हैं। असीस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इसके उच्चतर पद के शिक्षाविदों /स्वयंसेंवी संस्थाओं द्वारा विज्ञान, भूगोल व पर्यावरण, ऊर्जा, कृषि विषयों पर प्रकाशित शोध पर विद्यार्थियों को जानकारी देने हेतु विशेषज्ञों / शोधार्थियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए यू–डाइस 2023–24 के अनुसार पीएमश्री 639 राजकीय विद्यालयों में बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–8 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
639	5,000/-	31.95

8. फील्ड विजिट (Field Visit) – विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने व समझ विकसित करने के कार्यों को प्रभावी बनाए जाने हेतु विद्यार्थियों को पौधशाला, नगर निगम/पालिका कार्यालय, गार्डन इत्यादि का भ्रमण करवाया जाए। भ्रमण हेतु प्रत्येक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 को छोडकर) की कक्षा 6 से 12 तक की प्रत्येक कक्षा से 10 विद्यार्थियों का चयन संस्थाप्रधान द्वारा स्वयं के स्तर पर चयन किया जाना है। आकांक्षी जिले (Aspirational-Districts) को सम्मिलित करते हुए अन्य चयनित जिलों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त संख्या के रूप में सम्मिलित किया जाना हैं।

पीएमश्री योजना अन्तर्गत सत्र 2025–26 के लिए पीएमश्री राजकीय विद्यालयों के 43960 विद्यार्थियों के लिए बजट का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। जिलेवार बजट परिशिष्ट–9 पर अवलोकनीय।

विद्यार्थी संख्या	यूनिट कॉस्ट	बजट राशि लाखों में
43960	500/-	219.80

जिला/ब्लॉक/पीईईओ/संस्था प्रधान के दायित्व व मॉनीटरिंग कार्यों के सन्दर्भ में –

- पी.एम.श्री प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों को हरित एवं स्वच्छ विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्य योजना का निर्माण करना/करवाना।

RajKaj Ref No.: 15204045

- राज्य भर में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शुष्क/रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों, पानी की गुणवत्ता से प्रभावित (फ्लोराइड), पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेपों को प्रासंगिक बनाने की कार्ययोजना तैयार करना/करवाना।
- यूथ एवं इको क्लब के माध्यम से पूर्व में गठित सदन आधारित कोर ग्रुप/बाल संसद, संस्था प्रधान एवं यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी के मार्गदर्शन में "ग्रीन स्कूल" के जल, वायु, आकाश, भूमि और अग्नि पहलुओं के लिए निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदन के विद्यार्थी सक्रिय एवं मजबूत भूमिका के रूप में कार्य कराना।
- समय– समय पर मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक स्कूल को मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रपत्र भरना होगा। यह मॉनिटरिंग पीएम श्री स्कूल योजना के स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एस.क्यू.ए.एफ.) के आधार पर करवाना।
- प्रत्येक स्कूल में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभारी को नामित किया जाए एवम् निर्धारित गतिविधियों का संधारण नियमित रूप से रजिस्टर में किया जाए।

<u>पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन</u> –

- पीईईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसो मे परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परीक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

RajKaj Ref No.: 15204045

LED Lightening Budget Sheet 2025-26 for PMSHRI Schools								
S.No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.02	0.380
2	ALWAR			16		16	0.02	0.320
3	BALOTARA			11		11	0.02	0.220
4	BANSWARA		4	14		18	0.02	0.360
5	BARAN		4	12		16	0.02	0.320
6	BARMER			18		18	0.02	0.360
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.02	0.240
8	BHARATPUR		4	11		15	0.02	0.300
9	BHILWARA		4	19		23	0.02	0.460
10	BIKANER		1	15	1	17	0.02	0.340
11	BUNDI	1	1	10		12	0.02	0.240
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.02	0.340
13	CHURU			15	1	16	0.02	0.320
14	DAUSA		1	15	1	17	0.02	0.340
15	DEEG		1	6		7	0.02	0.140
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.02	0.280
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.02	0.300
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.02	0.280
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.02	0.400
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.02	0.320
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.02	0.600
22	JAISALMER		1	8		9	0.02	0.180
23	JALOR		2	16		18	0.02	0.360
24	JHALAWAR		2	12		14	0.02	0.280
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.02	0.420
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.02	0.400
27	KARAULI			14		14	0.02	0.280
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.02	0.200
29	KOTA	2	3	9		14	0.02	0.280
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.02	0.180
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.02	0.300
32	PALI		3	15		18	0.02	0.360
33	PHALODI		1	9		10	0.02	0.200
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.02	0.280
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.02	0.320
36	SALUMBAR		2	6		8	0.02	0.160
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.02	0.200
38	SIKAR		3	24	1	28	0.02	0.560
39	SIROHI	1		9		10	0.02	0.200
40	TONK		2	14		16	0.02	0.320
41	UDAIPUR		2	20		22	0.02	0.440
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**12.78**

Activity Promoting Green School (Upto 200 Students) Budget Sheet 2025-26 for PMSHRI							
S.No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER			1	1	0.05	0.050
2	ALWAR			1	1	0.05	0.050
3	BALOTARA				0	0.00	0.000
4	BANSWARA		1		1	0.05	0.050
5	BARAN		3		3	0.05	0.150
6	BARMER				0	0.00	0.000
7	BEAWAR	1	2		3	0.05	0.150
8	BHARATPUR		3		3	0.05	0.150
9	BHILWARA		2		2	0.05	0.100
10	BIKANER		1	1	2	0.05	0.100
11	BUNDI	1	1	1	3	0.05	0.150
12	CHITTAURGARH		2		2	0.05	0.100
13	CHURU				0	0.00	0.000
14	DAUSA		1	1	2	0.05	0.100
15	DEEG		1		1	0.05	0.050
16	DHAULPUR		1		1	0.05	0.050
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1		1	0.05	0.050
18	DUNGARPUR				0	0.00	0.000
19	GANGANAGAR	2	3		5	0.05	0.250
20	HANUMANGARH		3		3	0.05	0.150
21	JAIPUR	1	3		4	0.05	0.200
22	JAISALMER		1		1	0.05	0.050
23	JALOR				0	0.00	0.000
24	JHALAWAR		1	1	2	0.05	0.100
25	JHUNJHUNU		1		1	0.05	0.050
26	JODHPUR	1	2		3	0.05	0.150
27	KARAULI			1	1	0.05	0.050
28	KHAIRTHAL-TIJARA				0	0.00	0.000
29	KOTA	2	1		3	0.05	0.150
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	2	4	0.05	0.200
31	NAGAUR	1	1		2	0.05	0.100
32	PALI		1		1	0.05	0.050
33	PHALODI		1		1	0.05	0.050
34	PRATAPGARH			1	1	0.05	0.050
35	RAJSAMAND	1			1	0.05	0.050
36	SALUMBAR		1		1	0.05	0.050
37	SAWAI MADHOPUR				0	0.00	0.000
38	SIKAR		2	2	4	0.05	0.200
39	SIROHI	1		1	2	0.05	0.100
40	TONK		1	1	2	0.05	0.100
41	UDAIPUR			1	1	0.05	0.050
	Grand Total	**11**	**43**	**15**	**69**		**3.45**

RajKaj Ref No.: 15204045

Activity Promoting Green School (More than 200 Students)
Budget Sheet 2025-26 for PMSHRI

S.No.	District	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER	2	16		18	0.10	1.800
2	ALWAR		15		15	0.10	1.500
3	BALOTARA		11		11	0.10	1.100
4	BANSWARA	3	14		17	0.10	1.700
5	BARAN	1	12		13	0.10	1.300
6	BARMER		18		18	0.10	1.800
7	BEAWAR	3	6		9	0.10	0.900
8	BHARATPUR	1	11		12	0.10	1.200
9	BHILWARA	2	19		21	0.10	2.100
10	BIKANER		14	1	15	0.10	1.500
11	BUNDI		9		9	0.10	0.900
12	CHITTAURGARH		15		15	0.10	1.500
13	CHURU		15	1	16	0.10	1.600
14	DAUSA		14	1	15	0.10	1.500
15	DEEG		6		6	0.10	0.600
16	DHAULPUR	1	10	2	13	0.10	1.300
17	DIDWANA-KUCHAMAN		13	1	14	0.10	1.400
18	DUNGARPUR	2	12		14	0.10	1.400
19	GANGANAGAR		14	1	15	0.10	1.500
20	HANUMANGARH	1	12		13	0.10	1.300
21	JAIPUR	2	23	1	26	0.10	2.600
22	JAISALMER		8		8	0.10	0.800
23	JALOR	2	16		18	0.10	1.800
24	JHALAWAR	1	11		12	0.10	1.200
25	JHUNJHUNU		19	1	20	0.10	2.000
26	JODHPUR	1	16		17	0.10	1.700
27	KARAULI		13		13	0.10	1.300
28	KHAIRTHAL-TIJARA		10		10	0.10	1.000
29	KOTA	2	9		11	0.10	1.100
30	KOTPUTLI-BEHROR		5		5	0.10	0.500
31	NAGAUR	1	12		13	0.10	1.300
32	PALI	2	15		17	0.10	1.700
33	PHALODI		9		9	0.10	0.900
34	PRATAPGARH	1	12		13	0.10	1.300
35	RAJSAMAND	3	12		15	0.10	1.500
36	SALUMBAR	1	6		7	0.10	0.700
37	SAWAI MADHOPUR		10		10	0.10	1.000
38	SIKAR	1	22	1	24	0.10	2.400
39	SIROHI		8		8	0.10	0.800
40	TONK	1	13		14	0.10	1.400
41	UDAIPUR	2	19		21	0.10	2.100
	Grand Total	**36**	**524**	**10**	**570**		**57.00**

RajKaj Ref No.: 15204045

Colorful Dustbins painted with interesting characters for waste segregation 2025-26

S. No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.10	1.900
2	ALWAR			16		16	0.10	1.600
3	BALOTARA			11		11	0.10	1.100
4	BANSWARA		4	14		18	0.10	1.800
5	BARAN		4	12		16	0.10	1.600
6	BARMER			18		18	0.10	1.800
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.10	1.200
8	BHARATPUR		4	11		15	0.10	1.500
9	BHILWARA		4	19		23	0.10	2.300
10	BIKANER		1	15	1	17	0.10	1.700
11	BUNDI	1	1	10		12	0.10	1.200
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.10	1.700
13	CHURU			15	1	16	0.10	1.600
14	DAUSA		1	15	1	17	0.10	1.700
15	DEEG		1	6		7	0.10	0.700
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.10	1.400
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.10	1.500
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.10	1.400
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.10	2.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.10	1.600
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.10	3.000
22	JAISALMER		1	8		9	0.10	0.900
23	JALOR		2	16		18	0.10	1.800
24	JHALAWAR		2	12		14	0.10	1.400
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.10	2.100
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.10	2.000
27	KARAULI			14		14	0.10	1.400
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.10	1.000
29	KOTA	2	3	9		14	0.10	1.400
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.10	0.900
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.10	1.500
32	PALI		3	15		18	0.10	1.800
33	PHALODI		1	9		10	0.10	1.000
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.10	1.400
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.10	1.600
36	SALUMBAR		2	6		8	0.10	0.800
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.10	1.000
38	SIKAR		3	24	1	28	0.10	2.800
39	SIROHI	1		9		10	0.10	1.000
40	TONK		2	14		16	0.10	1.600
41	UDAIPUR		2	20		22	0.10	2.200
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**63.90**

Herbal /Medicinal Gardens 2025-26

S. No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.10	1.900
2	ALWAR			16		16	0.10	1.600
3	BALOTARA			11		11	0.10	1.100
4	BANSWARA		4	14		18	0.10	1.800
5	BARAN		4	12		16	0.10	1.600
6	BARMER			18		18	0.10	1.800
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.10	1.200
8	BHARATPUR		4	11		15	0.10	1.500
9	BHILWARA		4	19		23	0.10	2.300
10	BIKANER		1	15	1	17	0.10	1.700
11	BUNDI	1	1	10		12	0.10	1.200
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.10	1.700
13	CHURU			15	1	16	0.10	1.600
14	DAUSA		1	15	1	17	0.10	1.700
15	DEEG		1	6		7	0.10	0.700
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.10	1.400
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.10	1.500
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.10	1.400
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.10	2.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.10	1.600
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.10	3.000
22	JAISALMER		1	8		9	0.10	0.900
23	JALOR		2	16		18	0.10	1.800
24	JHALAWAR		2	12		14	0.10	1.400
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.10	2.100
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.10	2.000
27	KARAULI			14		14	0.10	1.400
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.10	1.000
29	KOTA	2	3	9		14	0.10	1.400
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.10	0.900
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.10	1.500
32	PALI		3	15		18	0.10	1.800
33	PHALODI		1	9		10	0.10	1.000
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.10	1.400
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.10	1.600
36	SALUMBAR		2	6		8	0.10	0.800
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.10	1.000
38	SIKAR		3	24	1	28	0.10	2.800
39	SIROHI	1		9		10	0.10	1.000
40	TONK		2	14		16	0.10	1.600
41	UDAIPUR		2	20		22	0.10	2.200
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**63.90**

Organize 'Swachhta Pakhwada' Clean up Drives 2025-26

S. No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.02	0.380
2	ALWAR			16		16	0.02	0.320
3	BALOTARA			11		11	0.02	0.220
4	BANSWARA		4	14		18	0.02	0.360
5	BARAN		4	12		16	0.02	0.320
6	BARMER			18		18	0.02	0.360
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.02	0.240
8	BHARATPUR		4	11		15	0.02	0.300
9	BHILWARA		4	19		23	0.02	0.460
10	BIKANER		1	15	1	17	0.02	0.340
11	BUNDI	1	1	10		12	0.02	0.240
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.02	0.340
13	CHURU			15	1	16	0.02	0.320
14	DAUSA		1	15	1	17	0.02	0.340
15	DEEG		1	6		7	0.02	0.140
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.02	0.280
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.02	0.300
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.02	0.280
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.02	0.400
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.02	0.320
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.02	0.600
22	JAISALMER		1	8		9	0.02	0.180
23	JALOR		2	16		18	0.02	0.360
24	JHALAWAR		2	12		14	0.02	0.280
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.02	0.420
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.02	0.400
27	KARAULI			14		14	0.02	0.280
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.02	0.200
29	KOTA	2	3	9		14	0.02	0.280
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.02	0.180
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.02	0.300
32	PALI		3	15		18	0.02	0.360
33	PHALODI		1	9		10	0.02	0.200
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.02	0.280
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.02	0.320
36	SALUMBAR		2	6		8	0.02	0.160
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.02	0.200
38	SIKAR		3	24	1	28	0.02	0.560
39	SIROHI	1		9		10	0.02	0.200
40	TONK		2	14		16	0.02	0.320
41	UDAIPUR		2	20		22	0.02	0.440
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**12.78**

RajKaj Ref No.: 15204045

Expert Talks 2025-26

S. No.	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.05	0.950
2	ALWAR			16		16	0.05	0.800
3	BALOTARA			11		11	0.05	0.550
4	BANSWARA		4	14		18	0.05	0.900
5	BARAN		4	12		16	0.05	0.800
6	BARMER			18		18	0.05	0.900
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.05	0.600
8	BHARATPUR		4	11		15	0.05	0.750
9	BHILWARA		4	19		23	0.05	1.150
10	BIKANER		1	15	1	17	0.05	0.850
11	BUNDI	1	1	10		12	0.05	0.600
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.05	0.850
13	CHURU			15	1	16	0.05	0.800
14	DAUSA		1	15	1	17	0.05	0.850
15	DEEG		1	6		7	0.05	0.350
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.05	0.700
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.05	0.750
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.05	0.700
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.05	1.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.05	0.800
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.05	1.500
22	JAISALMER		1	8		9	0.05	0.450
23	JALOR		2	16		18	0.05	0.900
24	JHALAWAR		2	12		14	0.05	0.700
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.05	1.050
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.05	1.000
27	KARAULI			14		14	0.05	0.700
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.05	0.500
29	KOTA	2	3	9		14	0.05	0.700
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.05	0.450
31	NAGAUR	1	2	12		15	0.05	0.750
32	PALI		3	15		18	0.05	0.900
33	PHALODI		1	9		10	0.05	0.500
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.05	0.700
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.05	0.800
36	SALUMBAR		2	6		8	0.05	0.400
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.05	0.500
38	SIKAR		3	24	1	28	0.05	1.400
39	SIROHI	1		9		10	0.05	0.500
40	TONK		2	14		16	0.05	0.800
41	UDAIPUR		2	20		22	0.05	1.100
	Grand Total	**11**	**79**	**539**	**10**	**639**		**31.95**

Field Visits 2025-26

S.No.	District	1 to 8 Schools	Per class 10 students (Class 6, 7 , 8)	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Sr.Sec. Schools	Per class 10 students (Class 6, 7 , 8)	Additional Students for Class 9, 10, 11, 12	Total Students	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
A	B	C	D	E	F	G= E+F	H = G X 70	I	J = (D+H+I)	K	L = K *J
1	AJMER	2	60	17		17	1190	60	1310	0.005	6.5500
2	ALWAR			16		16	1120	60	1180	0.005	5.9000
3	BALOTARA			11		11	770	60	830	0.005	4.1500
4	BANSWARA	4	120	14		14	980	60	1160	0.005	5.8000
5	BARAN	4	120	12		12	840	160	1120	0.005	5.6000
6	BARMER			18		18	1260	60	1320	0.005	6.6000
7	BEAWAR	5	150	6		6	420	60	630	0.005	3.1500
8	BHARATPUR	4	120	11		11	770	60	950	0.005	4.7500
9	BHILWARA	4	120	19		19	1330	60	1510	0.005	7.5500
10	BIKANER	1	30	15	1	16	1120	60	1210	0.005	6.0500
11	BUNDI	1	30	10		10	700	60	790	0.005	3.9500
12	CHITTAURGARH	2	60	15		15	1050	60	1170	0.005	5.8500
13	CHURU			15	1	16	1120	60	1180	0.005	5.9000
14	DAUSA	1	30	15	1	16	1120	60	1210	0.005	6.0500
15	DEEG	1	30	6		6	420	60	510	0.005	2.5500
16	DHAULPUR	2	60	10	2	12	840	160	1060	0.005	5.3000
17	DIDWANA-KUCHAMAN	1	30	13	1	14	980	60	1070	0.005	5.3500
18	DUNGARPUR	2	60	12		12	840	160	1060	0.005	5.3000
19	GANGANAGAR	3	90	14	1	15	1050	60	1200	0.005	6.0000
20	HANUMANGARH	4	120	12		12	840	60	1020	0.005	5.1000
21	JAIPUR	5	150	23	1	24	1680	60	1890	0.005	9.4500
22	JAISALMER	1	30	8		8	560	160	750	0.005	3.7500
23	JALOR	2	60	16		16	1120	60	1240	0.005	6.2000
24	JHALAWAR	2	60	12		12	840	60	960	0.005	4.8000
25	JHUNJHUNU	1	30	19	1	20	1400	60	1490	0.005	7.4500
26	JODHPUR	3	90	16		16	1120	60	1270	0.005	6.3500
27	KARAULI			14		14	980	160	1140	0.005	5.7000
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	700	60	760	0.005	3.8000
29	KOTA	3	90	9		9	630	60	780	0.005	3.9000
30	KOTPUTLI-BEHROR	2	60	7		7	490	60	610	0.005	3.0500
31	NAGAUR	2	60	12		12	840	60	960	0.005	4.8000
32	PALI	3	90	15		15	1050	60	1200	0.005	6.0000
33	PHALODI	1	30	9		9	630	60	720	0.005	3.6000
34	PRATAPGARH	1	30	13		13	910	60	1000	0.005	5.0000
35	RAJSAMAND	3	90	12		12	840	60	990	0.005	4.9500
36	SALUMBAR	2	60	6		6	420	160	640	0.005	3.2000
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	700	60	760	0.005	3.8000
38	SIKAR	3	90	24	1	25	1750	60	1900	0.005	9.5000
39	SIROHI			9		9	630	160	790	0.005	3.9500
40	TONK	2	60	14		14	980	60	1100	0.005	5.5000
41	UDAIPUR	2	60	20		20	1400	60	1520	0.005	7.6000
	Grand Total	**79**	**2370**	**539**	**10**	**549**	**38430**	**3160**	**43960**		**219.800**

RajKaj Ref No.: 15204045

पीएमश्री विद्यालयों के लिए जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र

परिशिष्ट–9

पीएमश्री ग्रीन स्कूल (Green School) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड...............................

ब्लॉक कार्यालय से ग्रीन स्कूल (Green School) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2025–26 में विद्यालय को प्राप्त ग्रीन स्कूल (Green School) राशि रू .... में से राशि .... का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2023–24 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

पीएमश्री ग्रीन स्कूल (Green School) (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र A-2

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि **<u>सत्र 2025–26 में</u>** सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त ग्रीन स्कूल (Green School) राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

RajKaj Ref No.: 15204045

पीएमश्री ग्रीन स्कूल (Green School) (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

पीएमश्री ग्रीन स्कूल (Green School) (जिला स्तर) A-4
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में जिला .... को ग्रीन स्कूल (Green School) मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref No.: 15204045

<u>लेखा सम्बन्धी नियम</u> :–

- समस्त व्यय राशि के तैयार किए गए प्रस्तावों का अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी से लिया जाएगा।
- एसएमसी/एसडीएमसी के दो सदस्य व एक सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित विद्यालय का संस्थाप्रधान कुल चार सदस्यों की समिति सम्बन्धित गतिविधियों की उपयोग सामग्री क्रय करना सुनिश्चित करें।
- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये। व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./हरित विद्या./दिशा–निर्देश/2025–26/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवम् भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायें।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. संभागीय निदेशक, शिक्षा विभाग, समस्त संभागीय कार्यालय।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. प्रोग्रामर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक कार्यालय।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :03-06-2025 05:13:37

RajKaj Ref No.: 15204045

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डॉ. एस. राघाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Email: - smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप / वै.शि.औ.शि. / दिशा–निर्देश / पीएमश्री पुस्त.अनु. / 2025–26 / दिनांकः–

दिशा–निर्देश पीएमश्री पुस्तकालय अनुदान सत्र 2025–26

बालक–बालिकाएँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की ओर आकर्षित होते हैं। वे किताबों के चित्र, कहानियों में अपनी दुनिया ढूंढते हैं, अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं। पुस्तक पढ़ने के दौरान अनेक मानसिक प्रक्रियाए ँ सक्रिय रहती हैं, जैसे पूर्वानुभवों को जोड़ना, अनुमान लगाना आदि। किताबें अपने परिवेश के साथ बाहर की दुनिया को जानने–समझने के लिये सेतु की तरह होती हैं तथा बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए संजीवनी सदृश हैं। अतः हमारा दायित्व है कि पाठ्य–पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकों तक बच्चों की पहुँच सुलभ की जावे जो ज्ञानवर्द्धक होने के साथ–साथ रूचिपूर्ण एवं मनोरंजक हो। पुस्तकें बच्चों के पठन कौशल विकास में सहायक होती हैं, साथ ही समझ कर पढ़ने की ओर प्रेरित कर चहुमुखी प्रगति के द्वार खोलती हैं। जिस बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है, पुस्तकें उस क्षेत्र की ओर अनन्त तक उन्हें आगे बढने की प्रेरणा देती हैं।

पुस्तकें पढ़ने के साथ–साथ बच्चे पुस्तकों से आत्मीय रिश्ता ढूंढते हैं। इसलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिससे किताबों (चित्रमय), संदर्भ पुस्तकों, जैव ग्राफिक्स, ऑटो जैव ग्राफिक्स, शब्दकोश, विश्वकोष, ऑडियो विजुअल सामग्री इत्यादि के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच होगी। पुस्तकालयों को समृद्ध करने के लिए एसएमसी और समुदाय को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। पुस्तकालय संसाधनों का भी उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि **"पढ़े भारत बढ़े भारत"** के प्रकाश में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया के रूप में पढ़ना आसान हो सके। शुरुआती ग्रेड से उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ने की प्रक्रिया के लिए निरंतर अभ्यास, विकास और परिष्करण की आवश्यकता होती है जिसके लिए लाइब्रेरी को समय–समय पर पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य पढ़ने की सामग्री के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही ई–संसाधनों तक पहुंच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

<u>बजट प्रावधान</u> :–

समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में राज्य के 639 चयनित पीएमश्री राजकीय विद्यालय हेतु निम्न प्रकार से पुस्तकालय हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Activity Name		Activity Master Details	Unit Cost	Physical	Financial
Library Grant	1	Primary School (up to highest Class V)	0.0500	11	0.55000
	2	Upper Primary School (up to highest Class VII)	0.1300	79	10.27000
	3	Secondary School (up to highest Class XII)	0.2000	549	109.80000
		Total		**639**	**120.62000**

पुस्तकालय बजट प्रावधान का जिलेवार विवरण पृथक से संलग्न है।

RajKaj Ref No.: 15204105

पुस्तकालय हेतु सामग्री :–

लाइब्रेरी में उपलब्ध सुविधाएं समझ, मौखिक और लिखित भाषा कनेक्शन, रोजमर्रा की जिंदगी में साक्षरता का उपयोग और साहित्यिक शिक्षा में संसाधनों के रूप में बच्चों को अनुभव करने के साथ पढ़ने को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। साधारणतया निम्नांकित सामग्री की आवश्यकता होती हैः–

- साहित्य– कक्षा 1–2, कक्षा 3–5 एवं कक्षा 6–12 हेतु आयु वर्ग के अनुरूप रोचक एवं ज्ञानवर्धक साहित्य।
- पुस्तकों/ पत्र–पत्रिकाओं का स्टॉक रजिस्टर एवं इश्यू रजिस्टर।
- बुक शेल्फ/ डिसप्ले बोर्ड/ डिसप्ले स्टेण्ड।

पुस्तकों का चयन एवं क्रय प्रक्रिया :–

1. बच्चों के साहित्य के साथ पठन कॉर्नर तथा रीडर्स क्लब होने चाहिए।
2. बच्चों के पढ़ने एवं लाइब्रेरी में आनन्द और रचनात्मकता विकसित करने के लिए बाल पत्रिकाओं को पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. इस हेतु निर्धारित राशि राज्य/जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्यालय की विद्य ालय प्रबन्धन समिति को जारी की जायेगी। जिसमें से आवश्यकतानुसार विद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की चयनित पुस्तकों का क्रय किया जायेगा।
4. पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों के चयन के लिए विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय समिति का गठन किया जाए।
5. विद्यालय को पुस्तकालय अनुदान प्राप्त होने के एक माह में पुस्तक क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।
6. मानदण्डानुसार विद्यालयों को देय पुस्तकालय अनुदान से बुकशेल्फ, एवम् पुस्तकें विद्यालय प्रबन्धन समितियों के प्रस्ताव के अनुरूप क्रय की जायेगी।
7. पुस्तकों का क्रय करते समय सामान्य वित्तिय एवम् लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जाये।
8. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से अलमारी की व्यवस्था होने अथवा जन सहयोग से व्यवस्था कर लेने के कारण बुक शेल्फ क्रय की आवश्यकता नहीं है, वहा इस राशि का उपयोग डिस्पले बोर्ड/डिस्पले स्टेण्ड/पुस्तकें क्रय करने में किया जावे। डिस्पले बोर्ड पर बच्चे अपनी हस्तलिखित रचनाओं को प्रदर्शित करें जिससे कि उनकी लेखन क्षमता में वृद्धि हो।
9. हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं की पुस्तकें राजकीय प्रकाशनों यथा नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया (एनबीटी), केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग भारत सरकार तथा एनसीईआरटी प्रकाशन को प्राथमिकता देते हुए क्रय की जावे।
10. पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा। इस पर स्टिकर आदि लगाकर या कटिंग कर अंकित किया गया मूल्य मान्य नहीं होगा।
11. पुस्तक क्रय का बिल नियमानुसार प्राप्त छूट का अंकन दर्शाते हुए बनवाये, जिसमें क्रय की गई पुस्तकों का नाम सहित मूल्य अंकित हो।

पुस्तकें क्रय करते समय निम्न दिशा–निर्देशों पर ध्यान दिया जावे :–

1. प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर NCERT, NBT, राज्य सरकार व आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय की जावे। कक्षा 1–5 हेतु प्राथमिक स्तर, कक्षा 6–8 हेतु उच्च प्राथमिक स्तर की तथा कक्षा 9 से 12 हेतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की पुस्तकें क्रय की जायें।
2. प्राथमिक कक्षाओं हेतु पुस्तकें बाल–आकर्षक हों। सामग्री रूचिकर हो, चित्र अधिक तथा शब्द कम हों।
3. पंक्तियों के बीच स्पेस पर्याप्त हो तथा फोन्ट साईज बच्चों के पढ़ने के लिए उपयुक्त हो।
4.

5. उच्च प्राथमिक स्तर हेतु पुस्तकें प्रेरक प्रसंगों, कविता कहानियों, पहेलियाँ, सामान्य ज्ञान, पाठ्य–विषय, सामाजिक चेतना, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, योग–व्यायाम, सामाजिक सद्भाव, प्राथमिक चिकित्सा, खेल, कम्प्यूटर ज्ञान, अमर चित्रकथा, नैतिक शिक्षा, क्षेत्रीय स्थानीय संदर्भ, स्थानीय भाषा में बाल साहित्य आदि की पुस्तकें हो सकती हैं। पुस्तकें आकर्षक एवं पाठ्य सामग्री बच्चों में रूचि बढ़ाने वाली हो। कुछ पुस्तकें शिक्षक संदर्भ की हो सकती हैं।
6. उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर हेतु विभिन्न महापुरूषों की जीवनियाँ, आत्मकथाऐं, सामाजिक समरसता, ज्ञानवर्द्धक एवं शिक्षाप्रद पुस्तकें क्रय की जावे। विभिन्न प्रकार की संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोष, शब्दकोष आदि भी क्रय की जा सकती है।
7. पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ संदर्भ पुस्तकें और पूरक पढ़ने की सामग्री, प्रारंभिक ग्रेड से उच्च माध्यमिक के सभी विषयों पर पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को उनके पढ़ने की जिज्ञासा को पूरा करने और उनके सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
8. बच्चों के अनुकूल घटक, जैसे पठन और गतिविधि कॉर्नर, कविता कॉर्नर, संदेश बोर्ड, लोक कहानियां इत्यादि को पुस्तकालय के लिए किताबें और अन्य पढ़ने योग्य सामग्री सहित ध्यान में रखा जाना चाहिए।
9. स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय पाठ्यपुस्तक, पूरक सामग्री और स्थानीय भाषाओं के शब्दकोश पुस्तकालय के लिए पढ़ने योग्य सामग्री में जोड़ने पर भी विचार किया जा सकता है।
10. पुस्तक की प्रिंटिंग साफ एवं स्पष्ट हो, पृष्ठभूमि इस प्रकार हो कि अक्षर स्पष्ट दिखाई देते हों।
11. बच्चों के लिए अंग्रेजी की चित्रात्मक पुस्तकें, सरल द्विभाषी पुस्तकें उपयुक्त हो सकती हैं।
12. पुस्तकों का कवर पेज लेमिनेटेड हो तथा अन्दर का पेज अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। पुस्तकें अधिक समय तक चलने की स्थिति में हो।
13. पुस्तकों का आकार इस प्रकार का हो कि विद्यार्थियों को उठाने, रखने एवं पढ़ने (हैंडलिंग) में आसानी रहे।
14. कम मूल्य की पुस्तकों के क्रय को प्राथमिकता दी जावे जिससे अधिक पुस्तकें खरीदी जा सकें।
15. पुस्तकों पर इण्डियन स्टेण्डर्ड बुक नम्बर (आई.एस.बी.एन.) अंकित हो।
16. पुस्तकों का संस्करण 3 वर्ष से पुराना न हो अर्थात् वर्ष 2022–23 से पूर्व का न हो।
17. विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पुस्तकों के क्रय की पुनरावृत्ति से बचा जावे।
18. अधिकाधिक विविधता की पुस्तकें क्रय की जायें।
19. क्रय की गई सामग्री, बुकशेल्फ एवं पुस्तकों को पुस्तकालय भण्डार पंजिका एवं पुस्तक परिग्रहण पंजिका (Accession Register) में संधारित किया जावे।
20. विद्यालयों में प्रति सप्ताह प्रति कक्षा निर्धारित पुस्तकालय कालांश में विद्यार्थियों को उनकी रूचि के अनुसार पढ़ने के लिये पुस्तकें दी जावें एवं पढ़ने के पश्चात वापस प्राप्त की जावे। पुस्तकों के लेन–देन का विवरण पुस्तक निर्गम पंजिका (Issue Register) में संधारित किया जावे।
21. पुस्तकों की विषय सामग्री पर प्रार्थना सभा एवं शनिवारीय बाल सभा में विद्यार्थियों को बोलने के पर्याप्त अवसर दिये जावे। इस सम्बन्ध में वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक मंचन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, कहानी सुनाना, चित्रकला आदि गतिविधियां आयोजित की जावें।

समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पुस्तकालय अनुदान राशि विद्यालय में प्राप्त होते ही उसी माह में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपयोग करवाया जाकर अनुपालना से अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति एवं पुस्तकालय संचालन :—

1. पुस्तकालय के नियमित व प्रभावी संचालन के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों में से गतिविधि प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति की जावेगी।
2. प्रभारी शिक्षक को पुस्तकालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जायेगी जिसके बदले में उसे सप्ताह में दो कालांश का विश्राम दिया जायेगा।
3. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, द्वारा पुस्तकालय हेतु निर्धारित कालांश में विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग किया जावेगा।
4. विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था सम्बन्धी कालांशों में भी विद्यार्थियों को रूचिकर पुस्तकें उपलब्ध करायी जावें।
5. सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पुस्तकों से सहसम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया जावे।
6. बाल संसद/बालमंच का गठन कर विद्यालयों में छात्रों का पुस्तकालय संचालन में सहयोग लिया जावे।
7. पुस्तकें बच्चों के उपयोग से कट—फट सकती हैं, अतः पुस्तकों की सुरक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को पुस्तकों के उपयोग से वंचित नहीं किया जावे।

पुस्तकालय गतिविधि संदर्शिका एवं प्रभारी शिक्षक का आमुखीकरण :—

पुस्तकालय कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण एवं वापस प्राप्त करना मात्र नहीं है, बल्कि पुस्तकों के साथ इनका गहराई से रिश्ता स्थापित करना है एवं उन्हें क्षमता के अनुसार अधिकाधिक पुस्तकें पढ़ने की ओर प्रेरित करना है। प्रभारी शिक्षक का पुस्तकालय उपयोग विधा पर ब्लॉक स्तर पर संक्षिप्त आमुखीकरण किया जावेगा जिससे शिक्षक, आयु वर्ग के अनुसार किताबों का वर्गीकरण, किताबों को समझ कर पढ़ने हेतु गतिविधियां/खेल सीख सकेगा तथा अच्छे पुस्तकालाध्यक्ष के कर्तव्य/गुण, बालमंच का पुस्तकालय संचालन में उपयोग आदि की समझ प्राप्त कर सकेगा।

पुस्तक भण्डार पंजिका एवं अवदान पंजिका का संधारण :—

विद्यालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों की प्राप्ति भण्डार पंजिका में रिकार्ड की जावे। इसके अतिरिक्त एक वितरण पंजिका होगी, जिसमें तिथिवार पुस्तकों का विद्यार्थियों को हस्तान्तरण एवं विद्यार्थीवार खातों में पुस्तकों का हस्तान्तरण अंकित किया जायेगा। पुस्तकालय प्रभारी प्रत्येक बालक को माह में दो बार पुस्तक जारी करना सुनिश्चित करें एवम् इसका रिकॉर्ड संधारित करें। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो तो एक कक्ष को पुस्तकालय कक्ष के रूप में उपयोग में लाया जाये जिसमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जावे। कक्ष की उपलब्धता न होने पर रीडिंग कॉर्नर की स्थापना की जावे। पुस्तकों का केटेलॉग विषयवार बनाया जावे एवं इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दी जावे जिससे कि वे अपनी पसन्द के विषय की पुस्तक प्राप्त कर सकें।

PMSHRI Library Grant 2025-26

S. No.	District	Primary School (up to highest Class V)	Unit cost	Budget in lac	Upper Primary School (up to highest Class VIII)	Unit cost	Budget in lac	Secondary School (up to highest Class XII)	Unit cost	Budget in lac	Total Schools	Total Budget in lac
1	AJMER		0.05	0.00	2	0.13	0.26	17	0.20	3.40	19	3.66
2	ALWAR		0.05	0.00		0.13	0.00	16	0.20	3.20	16	3.20
3	BALOTARA		0.05	0.00		0.13	0.00	11	0.20	2.20	11	2.20
4	BANSWARA		0.05	0.00	4	0.13	0.52	14	0.20	2.80	18	3.32
5	BARAN		0.05	0.00	4	0.13	0.52	12	0.20	2.40	16	2.92
6	BARMER		0.05	0.00		0.13	0.00	18	0.20	3.60	18	3.60
7	BEAWAR	1	0.05	0.05	5	0.13	0.65	6	0.20	1.20	12	1.90
8	BHARATPUR		0.05	0.00	4	0.13	0.52	11	0.20	2.20	15	2.72
9	BHILWARA		0.05	0.00	4	0.13	0.52	19	0.20	3.80	23	4.32
10	BIKANER		0.05	0.00	1	0.13	0.13	16	0.20	3.20	17	3.33
11	BUNDI	1	0.05	0.05	1	0.13	0.13	10	0.20	2.00	12	2.18
12	CHITTAURGARH		0.05	0.00	2	0.13	0.26	15	0.20	3.00	17	3.26
13	CHURU		0.05	0.00		0.13	0.00	16	0.20	3.20	16	3.20
14	DAUSA		0.05	0.00	1	0.13	0.13	16	0.20	3.20	17	3.33
15	DEEG		0.05	0.00	1	0.13	0.13	6	0.20	1.20	7	1.33
16	DHAULPUR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	12	0.20	2.40	14	2.66
17	DIDWANA-KUCHAMAN		0.05	0.00	1	0.13	0.13	14	0.20	2.80	15	2.93
18	DUNGARPUR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	12	0.20	2.40	14	2.66
19	GANGANAGAR	2	0.05	0.10	3	0.13	0.39	15	0.20	3.00	20	3.49
20	HANUMANGARH		0.05	0.00	4	0.13	0.52	12	0.20	2.40	16	2.92
21	JAIPUR	1	0.05	0.05	5	0.13	0.65	24	0.20	4.80	30	5.50
22	JAISALMER		0.05	0.00	1	0.13	0.13	8	0.20	1.60	9	1.73
23	JALOR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	16	0.20	3.20	18	3.46
24	JHALAWAR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	12	0.20	2.40	14	2.66
25	JHUNJHUNU		0.05	0.00	1	0.13	0.13	20	0.20	4.00	21	4.13
26	JODHPUR	1	0.05	0.05	3	0.13	0.39	16	0.20	3.20	20	3.64
27	KARAULI		0.05	0.00		0.13	0.00	14	0.20	2.80	14	2.80
28	KHAIRTHAL-TIJARA		0.05	0.00		0.13	0.00	10	0.20	2.00	10	2.00
29	KOTA	2	0.05	0.10	3	0.13	0.39	9	0.20	1.80	14	2.29
30	KOTPUTLI-BEHROR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	7	0.20	1.40	9	1.66
31	NAGAUR	1	0.05	0.05	2	0.13	0.26	12	0.20	2.40	15	2.71
32	PALI		0.05	0.00	3	0.13	0.39	15	0.20	3.00	18	3.39
33	PHALODI		0.05	0.00	1	0.13	0.13	9	0.20	1.80	10	1.93
34	PRATAPGARH		0.05	0.00	1	0.13	0.13	13	0.20	2.60	14	2.73
35	RAJSAMAND	1	0.05	0.05	3	0.13	0.39	12	0.20	2.40	16	2.84
36	SALUMBAR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	6	0.20	1.20	8	1.46
37	SAWAIMADHOPUR		0.05	0.00		0.13	0.00	10	0.20	2.00	10	2.00
38	SIKAR		0.05	0.00	3	0.13	0.39	25	0.20	5.00	28	5.39
39	SIROHI	1	0.05	0.05		0.13	0.00	9	0.20	1.80	10	1.85
40	TONK		0.05	0.00	2	0.13	0.26	14	0.20	2.80	16	3.06
41	UDAIPUR		0.05	0.00	2	0.13	0.26	20	0.20	4.00	22	4.26
	Grand Total	**11**		**0.55**	**79**		**10.27**	**549**		**109.80**	**639**	**120.62**

पीएमश्री विद्यालयों के लिए जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र

पीएमश्री लाईब्रेरी ग्रान्ट (Library Grant) उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

पीएमश्री लाईब्रेरी ग्रान्ट (Library Grant) (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र A-2

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि **सत्र 2025–26 में** सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त लाईब्रेरी ग्रान्ट (Library Grant) राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

में

के

ारा

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

पीएमश्री लाईब्रेरी ग्रान्ट (Library Grant) (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

पीएमश्री लाईब्रेरी ग्रान्ट (Library Grant) (जिला स्तर) A-4
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025—26 में जिला .... को लाईब्रेरही ग्रान्ट (Library Grant) मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

RajKaj Ref No.: 15204105

मॉनिटरिंग :–

जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पुस्तकालय कार्यक्रम की मॉनिटिरिंग विभागीय शिक्षा अधिकारियों, समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों एवं आवश्यकता पड़ने पर सहयोगी एनजीओ के सहयोग से सुनिश्चित की जावे। विद्यालय अवलोकन के समय पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा की जावे।

अतः प्राप्त पुस्तकालय अनुदान राशि का उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जावे। इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश सम्बन्धित विद्यालयों को समय पूर्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह परिषद् को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।

पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन –

- पीईईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परीक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि.औ.शि./दिशा–निर्देश/ पीएमश्री पुस्त.अनु./2025–26 / **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवम् राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I/II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/ मु.जि.शि.अ./ सीबीईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक, समस्त जिले।
7. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार तत्काल पुस्तक चयन समिति द्वारा अनुमोदित पुस्तकों के क्रय की कार्यवाही सम्पन्न करवाकर वैकल्पिक एवम् औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ, रास्कूशिप, जयपुर को सूचित करें तथा शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :03-06-2025 05:13:24

RajKaj Ref No.: 15204105